राजेश कुमार, भा0प्र0से0, समाहर्त्ता, पूर्णियाँ की अध्यक्षता में दिनांक 8.11.2014 को राजस्व की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थितिः-   यथा पंजी के अनुसार।

सर्वप्रथम सभी अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, अंचल अधिकारी का स्वागत किया गया एवं तदोपरान्त बैठक की कार्रवाई प्रारंभ की गई। बैठक में सभी पदाधिकारियों को बताया गया कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के स्तर से प्राप्त निदेशों का समुचित अनुपालन समयवद्ध रूप से सुनिश्चित किया जाय। समीक्षोपरान्त बिन्दुवार निम्न निदेश दिये गये :-

1.   **<u>लोक सेवा का अधिकार अधिनियम :-</u>**

समाहर्त्ता द्वारा लोक सेवा का अधिकार अधिनियम (आर0टी0पी0एस0) अन्तर्गत प्रदत्त सेवा की समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त सभी अंचल अधिकारी को निदेशित किया गया कि आर0 टी0पी0एस0 अन्तर्गत प्रदत्त सेवा में निर्धारित समय सीमा अन्तर्गत सेवा प्रदान करना सुनिशिचत किया जाय। अंचलाधिकरियों द्वारा बताया गया कि ऑन लाईन आवेदनों को सर्वर डाउन रहने के कारण डाउनलोड करने में कठिनाई होती है तथा Expiry आवेदनों में अधिकतर संख्या ऑन लाईन आवेदनों की होती है। समीक्षोपरान्त यह स्थिति स्पष्ट हुई कि ऑन लाईन आवेदनों को ससमय डाउनलोड करने की कार्रवाई नहीं की जाती है। जिसके कारण इस प्रकार की स्थिति दृष्टिगत है। अतः ऑन लाईन आवेदनों को दैनिक रूप से डाउनलोड कर अनुवर्ती कार्रवाई की जाय। साथ ही कार्यालय अवधि के पूर्व प्रातः में ही (जब RTPS Server पर अपेक्षाकृत कम लोड होता है) ऑन लाईन आवेदनों को डाउनलोड किया जाय तथा आवश्यकता अनुसार data card का भी प्रयोग किया जा सकता है। निदेशित किया गया कि ऑन लाईन आवेदनों को डाउनलोड करने के बाद ही आई0टी0 सहायक कार्यालय छोड़ेंगें। सभी अंचल अधिकारी को निदेशित किया गया कि हर हाल में Expiry आवेदनों की संख्या शुन्य रखा जाय। साथ ही भूमि सुधार उप समाहर्त्ता -सह- अपीलीय प्राधिकार सभी Expired आवेदनों पर Suo - moto अपील की कार्रवाई प्रारंभ करें तथा अधिक से अधिक Expired आवेदनों का निस्तार

करावें। उन्होने बताया कि राज्य Ranking में पूर्णियाँ जिला का स्थान 23वाँ है। यह स्थिति अत्यन्त ही असंतोषप्रद है। पूर्णियाँ जिला का स्थान प्रथम 5 के अन्दर लाने हेतु हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए इसमें किसी भी स्तर से यदि चूक पाई गई तो संबंधितों के विरूद्ध जिम्मेवारी तय करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। समाहर्त्ता द्वारा सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को आर0टी0पी0एस0 अन्तर्गत प्रदत्त सेवा की अंचल-वार पाक्षिक अनुश्रवण करने का निदेश दिया गया। समाहर्त्ता द्वारा आई0टी0 प्रबंधक, पूर्णियाँ को आर0टी0पी0एस0 अन्तर्गत कार्यशाला आयोजित करने का निदेश दिया गया। प्रखंड स्तरीय नोडल पदाधिकारी -सह- वरीय उप समाहर्त्ता प्रत्येक शनिवार को इसकी समीक्षा एवं अनुश्रवण करना सुनिश्चित करेंगें। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता -सह- अपीलीय प्राधिकार की भी अलग से समीक्षा की जायेगी।

2. **<u>भूमि विवाद निराकरण अधिनियम :-</u>**

समीक्षोपरान्त भूमि विवाद निराकरण अधिनियम अन्तर्गत निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के पश्चात बड़ी संख्या में वादों के लंबित रहने पर समाहर्त्ता द्वारा असंतोष व्यक्त किया गया। निर्धारित समय सीमा अन्तर्गत वादों के निष्पादन हेतु सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को निदेशित किया गया। उन्होने विषेशकर छः माह से अधिक समय तक लंबित वादों के निष्पादन हेतु सार्थक प्रयास करने का निदेश दिया। उन्होनें बताया कि निष्पादित वादों में पारित आदेशों का अनुपालन भी आवश्यक है। आदेशों का अनुपालन नहीं होने पर आदेश पारित करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता यह सुनिश्चित करेंगें कि उनके न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन ससमय अंचलाधिकारी द्वारा किया जाय। उन्होनें सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को निदेशित किया कि अंचलाधिकारियों के साथ नियमित बैठक किया जाय एवं पारित आदेशों के अनुपालन की समीक्षा की जाय एवं कृत क़ार्यवाही से अवगत कराया जाय।

3. **<u>सैरात :-</u>**

जिलान्तर्गत सैरातों की बन्दोवस्ती असंतोषप्रद पायी गई। समीक्षोपरान्त पाया गया कि अधिक संख्या में सैरातों की बन्दोवस्ती लंबित है। समाहर्त्ता द्वारा बताया गया कि अक्टूबर

श्रेणी के सैरातों की बन्दोवस्ती हो जानी चाहिए। लंबित सैरातों की बन्दोवस्ती 15 दिनों के अन्दर करने का निदेश उपस्थित पदाधिकारियों को दिया गया.। अपर समाहर्त्ता द्वारा बताया गया कि यदि किसी सैरात में स्थाई/अस्थाई परता घोषित करने का मामला है तो विधिवत् अभिलेख तैयार कर उपलब्ध कराया जाय ताकि यथाशीध्र अनुवर्त्ती कार्रवाई की जा सके। समीक्षोपरान्त पाया गया कि कई सैरातों की विभागीय वसूली हो रही है। निदेशित किया गया कि विभागीय वसूली वाले सैरातों का नाम, सुरक्षित जमा की राशि एवं वसूली संबंधी मासिक प्रतिवेदन नियमित रूप से जिला राजस्व शाखा को उपलब्ध कराया जाय। निदेश दिया गया कि जिन सैरातों की विभागीय वसूली हो रही है, उसकी वसूली सुरक्षित जमा राशि से कम नहीं हो, इसे सभी अंचल अधिकारी एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता सुनिश्चित करेंगें। यह भी निदेशित किया कि सैरातों से वसूली की राशि हर हाल में कोषागार में जमा किया जाना है, अंचल अधिकारी इसे सुनिश्चित करेंगें। अपर समाहर्त्ता द्वारा जो प्रपत्र दिया गया है उसमें सैरात का प्रतिवेदन ससमय भेजना सभी अंचल अधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

4. **महादलित विकास योजना :-**

महादलित विकास योजनान्तर्गत द्वितीय चरण के वासभूमि हेतु लंबित परिवारों को अद्यतन वास भूमि उपलब्ध नहीं कराने पर अप्रसन्नता व्यक्त की गई। समाहर्त्ता द्वारा अंचलाधिकारी पूर्णियाँ पूर्व, डगरूआ, बनमनखी एवं बी० कोठी को लंबित परिवारों को एक सप्ताह अन्तर्गत वास भूमि उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया। अवशेष परिवारों को वास भूमि उपलब्ध कराने हेतु प्राप्त आवंटन को उपावंटित कर दिया गया है। एक सप्ताह के अन्दर लंबित परिवारों को वास भूमि उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो संबंधित अंचलाधिकारी पर नियम सम्मत कार्रवाई की जाएगी। महादलित विकास योजनान्तर्गत वास भूमि से आच्छादित महादलित परिवारों को भी नियमानुसार इन्दिरा आवास से आच्छादित किया जाना है। सभी अंचल अधिकारी प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण में वास भूमि उपलब्ध कराये गये महादलित परिवारों की सूची अविलम्ब संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को उपलब्ध करायेंगें तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ समन्वय स्थापित कर महादलित परिवारों को नियमानुसार इन्दिरा आवास उपलब्ध कराने हेतु सार्थक कार्रवाई करेंगें। संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी इसे

सुनिश्चित करेंगें। समाहर्त्ता द्वारा बताया गया कि महादलित विकास योजनान्तर्गत वासरहित महादलित परिवारों को वास योग्य भूमि उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार द्वारा ''अभियान बसेरा'' प्रारम्भ किया गया है। अभियान बसेरा राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। अभियान का मुख्य उद्देश्य सभी महादलित परिवार को वास भूमि उपलब्ध कराया जाना है। इसके अन्तर्गत वास रहित महादलित परिवारों का विषेश अभियान चलाकर सर्वेक्षण किया जाए एवं चिन्हित वास रहित परिवार को विभागीय निदेश अनुसार वास योग्य भूमि उपलब्ध कराया जाय। सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को ''अभियान बसेरा'' का अनुश्रवण करने का निदेश दिया गया।

5. <u>भू-लगानः-</u>

समीक्षोपरान्त पाया गया कि लगान रसीद उपलब्ध नहीं रहने के कारण लगान वसूली में प्रतिकूल प्रभाव पर रहा है। अपर समाहर्त्ता द्वारा बताया गया कि गुलजार बाग मुद्रणालय से पर्याप्त संख्या में लगान रसीद बही उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। उनके द्वारा बताया गया कि अंचलाधिकारी, श्रीनगर को लगान रसीद बही मुद्रणालय से प्राप्त करने हेतु प्राधिकृत किया गया है। समाहर्त्ता द्वारा अंचलाधिकारी, श्रीनगर को गुलजारबाग मुद्रणालय से लगान रसीद बही प्राप्त करने हेतु निदेशित किया गया। तथा भू-लगन वसूली में प्रगति लाने हेतु निदेशित किया गया।

6. <u>वासगीत पर्चा :-</u>

वासगीत पर्चा की स्थिति असंतोषप्रद पायी गई। समाहर्त्ता द्वारा समीक्षोपरान्त सभी अंचलाधिकारी को निदेशित किया गया कि वासगीत पर्चा के लंबित मामलों का विधिवत निष्पादन एक माह अन्तर्गत किया जाय अन्यथा इसे गंभीरता से लिया जाएगा।

7. <u>भू-मापीः-</u>

समीक्षोपरान्त भू-मापी की स्थिति असंतोषप्रद पायी गयी। अंचलाधिकारी, पूर्णियाँ पूर्व, कसबा, बायसी, धमदाहा, भवानीपुर एवं रूपौली को लंबित भू-मापी के मामलों को 15 दिनों के अन्दर निष्पादित करने का निदेश दिया गया।

8. गैर मजरूआ मालिक भूमिः-

समाहर्त्ता द्वारा सभी अंचलाधिकारी को निदेशित किया गया कि नवम्बर माह में सभी अंचलाधिकारी कम-से-कम 10 एकड़ गैर मजरूआ मालिक भूमि वितरण हेतु सार्थक प्रयास करेंगे। सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता इसका अनुश्रवण करेंगे।

9. बिहार भूमि प्राधिकरण (बी0एल0टी0):-

बी0एल0टी0 अन्तर्गत मामलों की विस्तार से समीक्षा की गई। बी0एल0टी0 अन्तर्गत लंबित मामलों में ससमय प्रतिशपथ पत्र दायर करने एवं प्रत्येक वाद का सूक्ष्म अनुश्रवण करने का निदेश प्रभारी पदाधिकारी, विधि शाखा को दिया गया।

10. ऑपरेशन भूमि दखल दहानीः-

समाहर्त्ता द्वारा ऑपरेशन भूमि दखल दहानी की विस्तार से समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया कि अंचलाधिकारियों द्वारा प्रपत्र - I में पर्चाधारियों की पूर्ण सूची उपलब्ध नही कराई गई है। समाहर्त्ता द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुए सभी अंचलाधिकारी को निदेशित किया गया कि प्रपत्र - I में पर्चाधारियों की सूची अनुमंडल पदाधिकारी के माध्यम से दिनांक 13.11.2014 तक हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में जिला राजस्व शाखा को उपलब्ध करा देंगें ताकि इसे जिला के वेवसाईट में अपलोड किया जा सके। अनुमंडल पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि दिनांक 13.11.2014 तक सूची उपलब्ध नहीं कराने वाले अंचलाधिकारी पर प्रपत्र ''क'' गठित कर उपलब्ध करायेंगें।

11. भू- अभिलेख कम्प्युटरीकरणः-

भू-अभिलेख कम्प्युटरीकरण कार्य की प्रगति पर समीक्षोपरान्त असंतोष व्यक्त किया गया। समाहर्त्ता द्वारा सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को निदेशित किया गया कि भू-अभिलेख कम्प्युटरीकरण कार्य की सूक्ष्मता से समीक्षा एवं अनुश्रवण किया जाय। इस कार्य की सम्पूर्ण दायित्व संबंधित भूमि सुधार उप समाहर्त्ता की होगी। उन्होनें इस कार्य को नवम्बर माह तक पूर्ण कर लेने का निदेश सभी अंचल अधिकारी एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को दिया।